न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– पंकज कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 158 / 2022
प्रार्थीगण :–

1. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी स्व. श्री जुंझारराम, उम्र 65 वर्ष
2. लालाराम पुत्र स्व. श्री जुंझारराम, उम्र 37 वर्ष
3. भागीरथ राम पुत्र स्व. श्री जुंझारराम उम्र 35 वर्ष
4. लिखमेश पुत्र स्व. श्री जुझारराम उम्र 32 वर्ष
5. पप्पुराम पुत्र स्व. श्री जुंझारराम उम्र 30 वर्ष
6. मुन्नाराम पुत्र स्व. श्री जुंझारराम उम्र 25 वर्ष
7. महेन्द्र पुत्र स्व. श्री जुंझारराम उम्र 25 वष
   जातियान राईका निवासीगण ग्राम जाजीवाल कंकराला, तह. व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ढगलाराम पुत्र श्री नारायणराम जाति राईका निवासी ग्राम जाजीवाल कंकराला, तह. व जिला जोधपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिए भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः– श्री अशोक चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
श्री रमेश देवासी, श्री सुरेश परिहार अप्रार्थी की ओर से ।

–ःआदेशः–

दिनांकः–21/03/2024

प्रार्थीगण की और से अन्तर्गत धारा 251– ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा सं. 116 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वां, खसरा सं. 118 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा, कुल खसरा सं. 02 कुल रकबा 24 बीघा 17 बिस्वा, वाके ग्राम जाजीवाल कंकराला, पटवार क्षेत्र जाजीवाल कलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाजीवाल, तह. व जिला जोधपुर में आई हुई है। खसरा सं. 118 की भूमि पूर्व में धन्नाराम पिता नारायणराम के खातेदारी की राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, तत्पश्चात् नामां. सं. 219 के जरिए उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा प्रार्थीगण के पति/पिता जुंझारराम तथा 2/3 हिस्सा धन्नाराम के नाम दर्ज किया गया तथा इसी प्रकार खेत खसरा सं. 116 की भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पिता//पति जुंझारराम के नाम दर्ज थी, नामा. सं. 223 के जरिए उक्त भूमि का 1/2 हिस्सा ढगलाराम पुत्र नाराचणराम एवं 1/2 हिस्सा जुंझारराम पुत्र श्री नाराचणरा के नाम दर्ज किया

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

गया। इस प्रकार दोनों खसरान् में प्रार्थीगण के बंट व हिस्से में रकबा 10 बीघा 07 बिस्वां भूमि आई हुई है, जो हिस्सा मौके पर अलग–अलग है, जो हिस्सा इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार आया हुआ है। खेत खसरा सं. 116 की उत्तरी दिशा में कटाणी रास्ता आया हुआ है। रास्ते पर लगती संपूर्ण भूमि पर अप्रार्थी सं. 01 काबिज चला आ रहा है तथा उसके पूछे की तरफ प्रार्थीगण का हिस्सा आया हुआ है। प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि के पश्चात् धन्नाराम पुत्र श्री नारायणराम के हिस्से की भूमि आई हुई है। जिस समय भूमि मौके पर बांटी गई थी, उस समय प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी सं. 01 के हिस्से में से पश्चिमी माठ के सहारे–सहारे प्रार्थीगण व धन्नाराम की भूमि में आवागमन हेतु रास्ता छोड़ा गया था, जिससे प्रार्थीगण व धन्नाराम अपने–अपने खेतों में आते–जाते थे, किंतु बाद में अप्रार्थी सं. 01 के द्वारा उक्त रास्ते को बंद कर दिया गया। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया हुआ है, जो नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। अप्रार्थी सं. 01 को उक्त रास्ता बंद करने का कतई अधिकार नहीं था चुंकि राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा नहीं होने के कारण उक्त भूमि आज भी संयुक्त दर्ज चली आ रही है, किंतु मौके पर बंट किए हुए होने के कारण प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन का रास्ता बंद कर दिए जाने के कारण प्रार्थीगण को समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा है। प्रार्थीगण के खेत में जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रासता नहीं है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि में जाने का एकमात्र रास्ता अप्रार्थी सं. 01 के हिस्से की भूमि में आई हुई भूमि में से ही होकर है तथा उक्त रास्ता ही सबसे छोटा व सुगम रास्ता है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थीगण के द्वारा उक्त रास्ते को खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। वाद कारण हाल ही में तब उत्पन्न हुए जब अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि की पशिचिमी माठ पर प्रार्थीगण व धन्नाराम की भूमि में आवागमन हेतु छोड़े गए रास्ते को जोर–जबरदस्ती बंद कर दिया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त खसरा सं. 116 में निहित अप्रार्थी सं. 1 के हक व हिस्से की भूमि की पश्चिमी माठ पर स्थित रास्ते को खुलवाए जाने का आदेश पारित फरमावे तथा अप्रार्थी सं. 1 को पाबंद किया जावे कि उक्त रास्ते को अवरुद्ध नहीं करे और रास्ते को राजस्व रेकर्ड में कटाणी रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा तथ्य छुपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि उन्हें भली–भांति मालुम है कि उक्त कृषि भूमि खसरा सं. 116 ढगलाराम एवं प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है। संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि से संयुक्त खातेदार एक दूसरे से रास्ता न मांगकर आपस में बंटवाडा करते हुए रास्ते का निवारण करते हुए बंटवाडा किया जाता है जबकि ढगलाराम द्वारा बंटवाडा का एक वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है, जिसके विचारण रहते हुए उक्त विवादित भूमि में से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं होता एवं बाद बंटवाडा ही नियमानुसार रास्ते इत्यादि छोड़कर अपने अपने भाग

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

पर काबिज हो सकेंगे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध होने से व कानूनी तथ्यों व बिंदुओं से परे होने के कारण पोषणीय नहीं है तथा काबिले खारिज योग्य होने से मय हर्जे–खर्चे खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षीय सुनी गई। प्रार्थीगण ने प्रार्थन पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना–पत्र को ही अपनी बहस माना। अप्रार्थी ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया।

प्रकरण में प्रस्तावित रास्ते की मौके की यथास्थित हेतु तहसीलदार जोधपुर से मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई गई, जिसके अनुसार मौजा जाजीवाल कंकराला की भूमि के खसरा सं. 116 राजस्व रेकर्ड अनुसार 12.08 बीघा ढगलाराम पुत्र श्री नारायण राम (02–01–07) लालाराम, भागीरथराम, लिखमेश, पप्पूराम, मुनाराम, महेन्द्र पुत्र झुंजारराम हिस्सा 1/2, ढगलाराम पुत्र नारायण राम 1/2 जाति राईका दर्ज है तथा खसरास सं. 118 रकबा 12.09 बीघा लालाराम वगैरा पुत्र झुजारराम, धन्नाराम पुत्र नारायण राम 2/3 जाति राईका के नाम दर्ज है।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। तहसीलदार जोधपुर की ओर से प्रस्तुत प्रस्तावित की रास्ते की मौका जांच रिपोर्ट, राजस्व रिकॉर्ड एवं समग्र पत्रावली का अध्ययन कर विचार किया गया।

उपरोक्त रिपोर्ट के विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है एवं उक्त भूमि पर पक्षकार आपसी मौखिक बंटवाडे अनुसार काबिज हैं एवं बंटवाडे के संबंध में न्यायालय हाजा में एक दावा बाबत् बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विचारण स्तर पर है। चूंकि न्यायालय में उक्त खसरों के संबंध में बंटवाडे का दावा निर्णय होना है। इसलिए बिना विधिक बंटवाड़े के प्रस्ताव अनुसार रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार योग्य होने से खारिज किया जाता है।

पंकज कुमार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी जोधपुर

आदेश आज दिनांक 21/3/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/3/24

पंकज कुमार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी जोधपुर